पदमाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।

लादूराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।

03. कानाराम पुत्र बिडदाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।

04. लिखमाराम पुत्र बिडदाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।

05. भैराराम पुत्र बिडदाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।

06. गीतादेवी पत्नी नरसीराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।

07. देवाराम नाबालिग उम्र 10 साल पिता नरसीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तह. बीदासर जिला चुरू राज0 जरीये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती गीता देवी पत्नी नरसीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।

08. कैलाश नाबालिग उम्र 10 साल पिता नरसीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तह. बीदासर जिला चुरू राज0 जरीये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती गीता देवी पत्नी नरसीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार साहब, बीदासर जिला चुरू।
2. सर्व साधारण ग्रामवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चुरू।

—प्रतिवादीगण

घोषणात्मक राजस्व रेकॉर्ड संशोधन

उपस्थित

1. रघुवीर भांमू एडवोकेट वास्ते वादीगण।
2. पैरोकारराज।

निर्णय

दिनांक —28.09.2016

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता दादा, दादा ससुर, पडदादा, पदमाराम पुत्र कुशलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तह. बीदासर जिला चुरू के खातेदारी कब्जा, काश्त उपयोग—उपभोग का खेत खसरा नम्बर 734 तादादी 57—01 बीघा वाके रोही जोगलसर में स्थित है जिसमें वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 03 ता 05 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 06 ता 08 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा नियत है वादगत भूमि को वादीगण ने संवत 2008 में धोकलसिंह निवासी ग्राम जोगलसर से काश्त पर लिया था। जिस पर पदमा राम के समय की ढाणी बनी हुई है। धोकल सिंह के स्वर्गवास के पश्चात मगनी पत्नी गायडसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम जोगलसर ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपने आप को धोकल सिंह की पत्नी फर्जी रूप से बनकर वादगत खेत की खातेदारी अपने नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करायी। जबकि मगनी देवी ने वादगत खेत पर कभी काश्त नहीं की। वादीगण व इनके पिता दादा ने संवत 2008 से लगातार निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे है। वादगत खेत का वर्तमान राजस्व वादीगण के मुकाबले गलत एवं प्रभव शून्य है। मगनी ला—औलाद फौत हो चुकी है। वादीगण के पिता दादा, दादा ससुर एवं पडदादा स्व0 पदमाराम ने सेटलमेण्ट के दौरान ए.एस.ओ. साहब कैम्प सुजानगढ पश्चिमी के समक्ष वादगत खेत की खातेदारी अपने नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराने का पेश किया जिस पर पत्रावली संख्या 1764/1965 अनुवानी पदमा राम बनाम मगनी देवी दर्ज हुई जिसका निर्णय दिनांक 03.11.1966 को वादीगण के पिता, दादा, पदमाराम के पक्ष में निर्णय हुआ तथा वादगत खेत की खातेदारी मगनी देवी के नाम खारिज कर पदमाराम के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराने का आदेश फरमाया। इस निर्णय की पालना नहीं हुई इसलिये घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 734 तादादी 57—01 बीघा वाके रोही जोगलसर का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड गलत एवं शून्य है तथा वादीगण वादगत खेत के खातेदार कृषक है। वादगत खेत की खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर मुताबिक हिस्सा के अलग अलग राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 के कार्यालय में दिनांक 15.03.2016 को उपस्थित होकर वादगत खेत की खातेदारी उनके नाम

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चुरू)

प्रतिवादी की ओर से अपनी साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 चुनाराम, पी.ड. 02, गोमदराम, पी.ड. 03 कानाराम के बयान करवाये व दस्तावेज प्रदर्श 01 ता 08 पेश कर प्रदर्शित करवाये।

बहस उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांति का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादगत भूमि वादीगण के पिता, दादा, दादा ससुर, स्व0 पदमाराम ने स्व0 धोकल सिंह से संवत 2008 से काश्त पर लेने से लेकर वर्तमान तक स्व0 पदमाराम का व इसकी मृत्यु के पश्चात इनके वारिसानगणों का कब्जा–काश्त चला आ रहा है व वर्तमान में अपने–अपने हिस्से–पाति भूमि में ढाणियां बनाकर निवास कर रहे है व धोंकल सिंह के वर्तमान में कोई जाईन्दा वारिसान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकारराज ने प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार से प्रकरण हाजा में किसी भी प्रकार से अन्य कोई प्रतिवादीगण बावजूद समाचार पत्र की सूचना के प्रस्तुत नहीं हुआ है। वादीगण के गवाह पी.ड. 01 वादी स्वयं, पी.ड. 02 ग्राम जोगलसर का स्वतंत्र गवाह है, व पी.ड. 03 वादी है ने अपने मौखिक बयानों में भी वादपत्र के तथ्यों की ताईद की है तथा दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 01 ता 08 से भी इन्ही तथ्यों की पुष्टि होती है।

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 01 नकल जमाबंदी ग्राम जोगलसर संवत 2068–71 के अनुसार खसरा नम्बर 734 में मगनी देवी पत्नी धोकल सिंह कौम राजपूत अंकित है। जबकि वादीगण के गवाहान पी.ड. 01 ता 03 ने अपने मौखिक बयानों में बताया है कि मगनी देवी नाम की औरत धोकल सिंह की पत्नी नहीं होकर इनकी काकी थी। इनका राजस्व रेकॉर्ड में जो रेकॉर्ड दर्ज हुआ है वो गलत है। वादगत खसरेजात भूमि में स्व0 धोकलसिंह के जीवित रहते के समय काश्त हेतु वादीगण के पिता व दादा ने काश्त पर लिया था। उस दिन से लेकर आज तक वादीगण की काश्त चली आ रही है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 04 ता 08 से भी बखूबी प्रमाणित है कि खातेदार धोकल सिंह है लेकिन कब्जा काश्त पदमा राम की चली आ रही है पदमा राम की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र व पौत्रों की चली आ रही है. जो दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित है। इससे भी प्रमाणित है कि प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 02 जो ए.एस.ओ. साहब कैम्प सुजानगढ पश्चिम का निर्णय दिनांक 03.11.1966 में वादगत खेत की खातेदारी मगनी देवी की खारिज की जाकर पदमा पुत्र कुशला जाति मेघवाल निवासी जोगलसर के नाम खातेदारी दर्ज किया जावे का फैसला किया जा चुका था। इस निर्णय की पालना आज तक नहीं हो सकी जो गवाह पी. ड. 01 ने अपने मौखिक बयानों में निवेदन किया है कि गांव के अनपढ ग्रामीण होने के नाते इस निर्णय की प्रति पेश करने का अभाव रहा है। इस निर्णय से में पूर्णतया सहमत हूं कि वादगत खेत की खातेदारी मगनीदेवी कि दुरूस्त की जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जावे। ए.एस.ओ. साहब के निर्णय की आज तक किसी भी पक्षकार ने किसी अन्य न्यायालय में कोई चुनौति नहीं दी गई है न ही ऐसा इस पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार भी वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है कि संवत 2008 से लेकर आज तक पहले वादीगण के पिता, दादा स्व0 पदमाराम का कब्जा काश्त व वादगत खसराजात भूमि में ढाणी बनाकर निवास करना व इनकी मृत्यु के पश्चात वादीगणों का कब्जा–काश्त व अपने हिस्सा अनुसार ढाणियां बनाकर निवास करने से व आज तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई उज्र आपत्ति नहीं की है न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावाली पर उपलब्ध है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 04 ता 08 से लगातार संवत 2008 से कब्जा–काश्त होना जिससे वादीगण का कब्जा परिपकव होना भी प्रमाणित होता है व ए.एस.ओ. साहब कैम्प सुजानगढ पश्चिम का निर्णय दिनांक 03.11.1966 के निर्णय का आज तक किसी पक्षकार द्वारा कोई उज्र आपत्ति नहीं उठाना व पक्षकारों के मौखिक साक्ष्य से स्व0 धोकल सिंह के ला–औलाद फौत हो जाने से वादीगण का वाद नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। अतः वादीगण के वाद पत्र की पुष्टि होती है वादीगण मुताबिक अपने हिस्सा अनुसार अपना नाम उक्त भूमि में दर्ज करवाकर रेकॉर्ड संशोधन करवाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद वादगत भूमि पर कब्जा परिपक्व होने व ए.एस.ओ. साहब कैम्प सुजानगढ पश्चिम का निर्णय दिनांक 03.11.1966 के मुताबिक इस कदर डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 734 तादादी 57–01 बीघा वाके रोही जोगलसर तह0 बीदासर जिला चुरू का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अंकन शून्य गलत करार दिया जाता है तथा उक्त भूमि में वादीगण वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 03 ता 05 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा एवं वादी संख्या 06 ता 08 का संयुक्त रुप से 1/12 हिस्सा के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। इस कदर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रतिवादी की ओर से अपनी साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 चुनाराम, पी.ड. 02, गोमदराम, पी.ड. 03 कानाराम के बयान करवाये व दस्तावेज प्रदर्श 01 ता 08 पेश कर प्रदर्शित करवाये।

बहस उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांति का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादगत भूमि वादीगण के पिता, दादा, दादा ससुर, स्व0 पदमाराम ने स्व0 धोकल सिंह से संवत 2008 से काश्त पर लेने से लेकर वर्तमान तक स्व0 पदमाराम का व इसकी मृत्यु के पश्चात इनके वारिसानगणों का कब्जा–काश्त चला आ रहा है व वर्तमान में अपने–अपने हिस्से–पाति भूमि में ढाणियां बनाकर निवास कर रहे है व धोंकल सिंह के वर्तमान में कोई जाईन्दा वारिसान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकारराज ने प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार से प्रकरण हाजा में किसी भी प्रकार से अन्य कोई प्रतिवादीगण बावजूद समाचार पत्र की सूचना के प्रस्तुत नहीं हुआ है। वादीगण के गवाह पी.ड. 01 वादी स्वयं, पी.ड. 02 ग्राम जोगलसर का स्वतंत्र गवाह है, व पी.ड. 03 वादी है ने अपने मौखिक बयानों में भी वादपत्र के तथ्यों की ताईद की है तथा दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 01 ता 08 से भी इन्ही तथ्यों की पुष्टि होती है।

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 01 नकल जमाबंदी ग्राम जोगलसर संवत 2068–71 के अनुसार खसरा नम्बर 734 में मगनी देवी पत्नी धोकल सिंह कौम राजपूत अंकित है। जबकि वादीगण के गवाहान पी.ड. 01 ता 03 ने अपने मौखिक बयानों में बताया है कि मगनी देवी नाम की औरत धोकल सिंह की पत्नी नहीं होकर इनकी काकी थी। इनका राजस्व रेकॉर्ड में जो रेकॉर्ड दर्ज हुआ है वो गलत है। वादगत खसरेजात भूमि में स्व0 धोकलसिंह के जीवित रहते के समय काश्त हेतु वादीगण के पिता व दादा ने काश्त पर लिया था। उस दिन से लेकर आज तक वादीगण की काश्त चली आ रही है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 04 ता 08 से भी बखूबी प्रमाणित है कि खातेदार धोकल सिंह है लेकिन कब्जा काश्त पदमा राम की चली आ रही है पदमा राम की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र व पौत्रों की चली आ रही है. जो दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित है। इससे भी प्रमाणित है कि प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 02 जो ए.एस.ओ. साहब कैम्प सुजानगढ पश्चिम का निर्णय दिनांक 03.11.1966 में वादगत खेत की खातेदारी मगनी देवी की खारिज की जाकर पदमा पुत्र कुशला जाति मेघवाल निवासी जोगलसर के नाम खातेदारी दर्ज किया जावे का फैसला किया जा चुका था। इस निर्णय की पालना आज तक नहीं हो सकी जो गवाह पी. ड. 01 ने अपने मौखिक बयानों में निवेदन किया है कि गांव के अनपढ ग्रामीण होने के नाते इस निर्णय की प्रति पेश करने का अभाव रहा है। इस निर्णय से में पूर्णतया सहमत हूं कि वादगत खेत की खातेदारी मगनीदेवी कि दुरूस्त की जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जावे। ए.एस.ओ. साहब के निर्णय की आज तक किसी भी पक्षकार ने किसी अन्य न्यायालय में कोई चुनौति नहीं दी गई है न ही ऐसा इस पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार भी वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है कि संवत 2008 से लेकर आज तक पहले वादीगण के पिता, दादा स्व0 पदमाराम का कब्जा काश्त व वादगत खसराजात भूमि में ढाणी बनाकर निवास करना व इनकी मृत्यु के पश्चात वादीगणों का कब्जा–काश्त व अपने हिस्सा अनुसार ढाणियां बनाकर निवास करने से व आज तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई उज्र आपत्ति नहीं की है न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावाली पर उपलब्ध है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 04 ता 08 से लगातार संवत 2008 से कब्जा–काश्त होना जिससे वादीगण का कब्जा परिपकव होना भी प्रमाणित होता है व ए.एस.ओ. साहब कैम्प सुजानगढ पश्चिम का निर्णय दिनांक 03.11.1966 के निर्णय का आज तक किसी पक्षकार द्वारा कोई उज्र आपत्ति नहीं उठाना व पक्षकारों के मौखिक साक्ष्य से स्व0 धोकल सिंह के ला–औलाद फौत हो जाने से वादीगण का वाद नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। अतः वादीगण के वाद पत्र की पुष्टि होती है वादीगण मुताबिक अपने हिस्सा अनुसार अपना नाम उक्त भूमि में दर्ज करवाकर रेकॉर्ड संशोधन करवाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद वादगत भूमि पर कब्जा परिपक्व होने व ए.एस.ओ. साहब कैम्प सुजानगढ पश्चिम का निर्णय दिनांक 03.11.1966 के मुताबिक इस कदर डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 734 तादादी 57–01 बीघा वाके रोही जोगलसर तह0 बीदासर जिला चुरू का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अंकन शून्य गलत करार दिया जाता है तथा उक्त भूमि में वादीगण वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 03 ता 05 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा एवं वादी संख्या 06 ता 08 का संयुक्त रुप से 1/12 हिस्सा के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। इस कदर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)